# मध्यप्रदेश विधान सभा

## फरवरी-मार्च, 2003 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च, 2003 (चैत्र 7, 1925)

**समय 10.30 बजे दिन**

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(क) विनियोग लेखे वर्ष 2000-2001;
(ख) वित्त लेखे वर्ष 2000-2001 (1 अप्रैल, 2000 से 31 अक्टूबर, 2000 तक) तथा (1 नवम्बर, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक); एवं
(ग) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष का वाणिज्यिक, पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सत्येन्द्र पाठक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 29 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सुभाष कुमार सोजतिया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित का पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिये पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में फंगस के कारण सागौन के जंगल नष्ट होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री अजय विश्नोई, नरोत्तम मिश्रा, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, जबलपुर स्थित राजीव गांधी शिक्षा मिशन के कार्यालय में वित्तीय अनियमितताएं होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रसाल सिंह, सदस्य, दमोह जिले में अनेक हत्याएं होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्रीमती सविता दीवान, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद स्थित नर्मदा महाविद्यालय के मैदान में बैलगाड़ी प्रतियोगिता से परीक्षा में बाधा उत्पन्न होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, प्रदेश की जेलों में बंदी कैदियों के मानदेय पर मिलने वाली ब्याज राशि का दुरुपयोग होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री रंजीत सिंह गुणवान, सदस्य, राजगढ़ स्थित जल शोधन प्रयोगशाला द्वारा जल में फ्लोराइड का परीक्षण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री पी.सी. शर्मा, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में निर्धारित मापदंड का पालन न किये जाने की ओर ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के दक्षिण वन मंडल में एक बीड़ी फर्म द्वारा अवैध रूप से तेंदूपत्ता एवं लकड़ी का उपयोग किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री मुंशीलाल, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम धनखेड़ी में सरपंच की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री लालसिंह, नरेन्द्र बिरथरे, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम मडोली निवासी व्यक्ति की भूमि पर जबरन कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, धार जिले में फ्लोराइडयुक्त पानी से बच्चों में विकलांगता होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री कमल पटेल, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, होशंगाबाद जिला सहकारी बैंक द्वारा अमानक स्तर की खाद वितरण किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री रणवीर सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के करैरा अभ्यारण्य क्षेत्र में शामिल गांवों की भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.